अध्याय 2 – लेखापरीक्षा रूपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा को यह जानने हेतु किया गया था कि क्याः

- मंत्रालय के पास भारतीय वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वर्तमान व प्रक्षेपित भविष्य की जरूरतों के आंकलन हेतु 2007 (एम–टफ्स) एवं 2011 (आर–टफ्स) में आँकड़ें उपलब्ध थे;
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने राजसहायता की जरूरत का उचित आंकलन किया था तथा इसके लिए मंत्रालय के पास स्त्रोत/निधि उपलब्ध थी;
- योजना के अंतर्गत राजसहायता की देय राशि पात्र निवेश के लिए वितरित की गई; तथा
- प्रभावी निगरानी के लिए मंत्रालय ने योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों पर निगाह रखने हेतु प्रणाली की स्थापना की और उसका अनुसरण किया।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और विस्तार

योजना के वित्तीय लागत के विवरण से, जो कि ऊपर पैरा 1.7 में उल्लिखित है, यह स्पष्ट है कि 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 के दौरान योजना के अंतर्गत भारी राशि निर्गत की गई है। इसलिए निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना की 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 की समयावधि ली गई थी। सितम्बर 2014 से मई 2015 के दौरान योजना लाभार्थियों के 3,231 मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी।

मंत्रालय के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, कुल 20 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को निधि निर्गत हुई थी। योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए सात राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडू के लाभार्थियों में से नमूने लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे, क्योंकि मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ें प्रतिबिम्बित करते हैं कि योजना के अंतर्गत ये राज्य मुख्य लाभार्थी राज्य थे।

2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्त्रोतों से लिए गए थे :

- योजना के लिए जारी सरकारी संकल्प (जी आर);
- योजना के कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र;
- मंत्रालय में उपलब्ध योजना के निरूपण एफ आई को जारी की गई राज सहायता, ब्याज का विवरण, आर्थिक दण्ड पर ब्याज, राजसहायता वापसी इत्यादि से संबंधित दस्तावेज;
- योजना के अन्तर्गत टफ्स लाभार्थियों की योग्यता एवं राजसहायता की प्राप्ति को चिन्हित करने से संबंधित एफ आई और वस्त्र आयुक्त के पास उपलब्ध दस्तावेज;
- आई एम एस सी और टी ए एम सी की विभिन्न बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्यवृत; तथा
- मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त में उपलब्ध योजना की निगरानी से संबंधित दस्तावेज।

2.5 लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूने

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निम्न पद्धति को अपनाया गया:

2.5.1 उद्घाटन तथा समापन सम्मेलन

मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त और एफ आई के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में 03 सितम्बर 2014 को उद्घाटन सम्मेलन किया गया। तदोपंरात मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त एवं सात राज्यों में स्थित वित्तीय संस्थानों की शाखाओं में चयनित लाभार्थियों के मामलों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणीयां जारी की गई। लेखापरीक्षा के द्वारा, लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने हेतु चयनित सात राज्यों के एफ आई प्रतिनिधियों के साथ समापन सम्मेलन का आयोजन हुआ।

तदोपरांत टफ्स का समेकित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को 19 मई 2015 में जारी किया गया जिस पर मंत्रालय ने 08 जुलाई 2015 को उत्तर दिया और 09 जुलाई 2015 में मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में समापन सम्मेलन किया गया जिसमें समेकित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। जैसाकि समापन सम्मेलन में चर्चा हुई थी, अतिरिक्त लेखापरक्षा निष्कर्ष मंत्रालय को 21 जुलाई 2015 जारी किये गये। मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2015 की वित्त संस्थाओं के उत्तर लेखापरीक्षा को अग्रेषित किये। उसके बाद 30 अक्टूबर 2015 को ड्राफ्ट फाईनल निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को जारी की गई जिस पर मंत्रालय ने 20 नवम्बर 2015 को उत्तर दे दिया। मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

2.5.2 लेखापरीक्षा नमूने

वस्त्र आयुक्त द्वारा दिये गए आँकड़ों के अनुसार 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 के दौरान 22,998 मामलों में लाभार्थियों को ऋण दिया गया। लेखापरीक्षा ने उक्त लाभार्थियों में से नमूनों का चयन किया। लेखापरीक्षा के लिए चुने गये नमूने एम–टफ्स और आर–टफ्स के लाभार्थियों के मामलों से संबंधित थे। जब नमूनों का चयन किया जा रहा था तब यह प्रयास किया गया कि यह प्रतिनिधित्व नमूने हो जिसमें खण्ड, सेक्टर (एस एस आई और गैर–एस एस आई) और वित्तीय संस्थानों के प्रकार (वाणिज्यिक और सहकारी वित्तीय संस्थान) को भी ध्यान में रखा गया हो। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राज्य–वार चयनित एवं लेखापरीक्षित नमूने सारणी–2 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 2 : निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्यवार चयनित एवं लेखापरीक्षित नमूने

राज्य	लाभार्थियों के मामले जिन्हें लेखापरीक्षा के लिए लिया गया	लाभार्थियों के मामले जिनके रिकॉर्ड वित्तीय संस्थानों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये	लाभार्थियों के मामले जिनके रिकॉर्ड वित्तीय संस्थानों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये
आन्ध्र प्रदेश	183	180	03
गुजरात	1,306	1,101	205
मध्य प्रदेश	55	54	01
म्हाराष्ट्र	627	579	48
पंजाब	402	300	102
राजस्थान	150	137	13
तमिलनाडु	508	480	28
कुल	**3,231**	**2,831**	**400**

2.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, मंत्रालय, कार्यालय वस्त्र आयुक्त और वित्तीय संस्थानों से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है। मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर तात्कालिक सुधारात्मक उपाय लेने के लिए की गई कार्रवाई पर भी लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।